

— / / 01 / / —

विविध आप. प्र.क्र.— 10 / 2012

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

विविध आप. प्र.क्र.— 10 / 2012

संस्थित दिनांक — 28.03.2012

श्रीमती मनीषा मरकाम पति श्री कपूरसिंह मरकाम, उम्र 23 साल,

जाति गोंड, निवासी ग्राम मोवाला थाना व तहसील बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — ' — — — — — — — आवेदिका

— / / विरुद्ध / / —

श्री कपूरसिंह मरकाम पिता सुबेलाल मरकाम, उम्र 25 साल,

जाति गोंड, निवासी ग्राम मोवाला थाना व तहसील बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — ' — — — — — — — अनावेदक

आवेदिका की ओर से श्री तारेन्द्र तुरकर अधिवक्ता।

अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय।

— :: आदेश :: —

(आज दिनांक 22 / 01 / 2015 को पारित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रस्तुति दिनांक 28.03.2012 का निराकरण किया जा रहा है।

(02) आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। आवेदिका का विवाह अनावेदक से जाति रीति रिवाज के अनुसार आवेदन प्रस्तुति दिनांक 28.03.2012 से चार वर्ष पूर्व ग्राम रेहंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट में सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरान्त आवेदिका अनावेदक के साथ ग्राम मोवाला में एक वर्ष तक रही और दाम्पत्य जीवन का निर्वहन किया। उसके

बाद अनावेदक एवं अनावेदक के परिवार के लोग दहेज में टी.व्ही., कूलर, आलमारी, सोफासेट एवं मोटरसायकिल तथा 50,000 /- रुपये की मांग कर ताने देने लगे और कहने लगे की दूसरी जगह शादी करते तो अच्छा दहेज मिलता और उसे परेशान करने लगे। आवेदिका ने समझाने का काफी प्रयास किया कि उसके माँ-बाप गरीब हैं। इतना दहेज नहीं दे सकते। अनावेदक आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। अनावेदक की माँ भी आवेदिका को गन्दी-गन्दी गालिया देने लगी और खाने पीने में तंगी देने लगी। अनावेदक उसके माता-पिता के उकसाने में आकर दहेज की मांग को लेकर अत्याधिक मारपीट कर घर से निकाल दिया और आवेदिका विवश होकर उसके मायके रहंगी में अपने माता-पिता के पास रही है। आवेदिका ने अनावेदक द्वारा की प्रताड़ना की रिपोर्ट थाना बैहर में भी की थी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आवेदिका अपने मायके वालों के सहारे ग्राम रहंगी में रह रही है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका को भरण-पोषण के लिये 6000 /- रुपये की राशि दिलाई जावे।

(03) अनावेदक ने आवेदिका के आवेदन का खण्डन कर व्यक्त किया है कि आवेदिका विवाह के एक वर्ष तक अनावेदक के साथ ठीक से रही, उसके बाद घरेलू छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि तुम नंगे भीखारी लोग हो, उसके मायके में रहने के लिये बोली उसने आवेदिका को समझाने का काफी प्रयास किया और आवेदिका को बोला कि उसके माता-पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिये वह ससुराल में नहीं रह सकता, इसलिये आवेदिका लड़ाई झगड़ा करके अपनी मर्जी से बगैर बताये ही अपने मायके चली गई। उसके बाद अनावेदक एवं उसके माता-पिता आवेदिका को लेकर आये लेकिन पुनः आवेदिका लड़ाई झगड़ा करके अपनी मर्जी से उसके मायके चली गई। अनावेदक आवेदिका को लेने गया तो आवेदिका ने उसके साथ जीवन निर्वहन करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। आवेदिका स्वयं अपनी मर्जी से बिना उचित कारण के उसके मायके में निवास

कर रही है।

(03) अनावेदक दिनांक 13.11.2014 को अनुपस्थित रहा। अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

(04) आवेदिका के भरण-पोषण आवेदन-पत्र का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है ?
- (2) क्या आवेदिका का अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है तथा अनावेदक सक्षम होते हुए भी आवेदिका का भरण-पोषण करने में उपेक्षा बरत रहा है ?
- (3) क्या आवेदिका अनावेदक से भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ?
- (4) सहायता एवं व्यय ?

— :: सकारण — निष्कर्ष :: —

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्र. 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) आवेदिका साक्षी मनीषा (अ.सा. 1) का कहना है कि उसके कथन से सात वर्ष पूर्व ग्राम रेहंगी में उसका विवाह जाति रीति रिवाज के अनुसार अनावेदक कपूरसिंह मरकाम के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के एक वर्ष तक वह अनावेदक की पत्नी बनकर अच्छे से रही लेकिन शादी के एक वर्ष बाद अनावेदक दहेज में उससे टी. वी. कूलर, अलमारी एवं 50,000/- रुपये की मांग कर उसे परेशान करने लगा तो उसने अनावेदक से बोला कि उसके माता-पिता गरीब हैं कहा से इतना दहेज देंगे।

इस बात को लेकर अनावेदक उसके साथ मारपीट करता था और बोलता था कि दहेज नहीं लायेगी तो घर से निकल जा, वह दूसरी शादी कर लेगा की धमकी देता था और खाने पीने में भी परेशान करता था। अनावेदक ने उसे दहेज के लिये परेशान कर घर से निकाल दिया तो वह उसके मायके चली गई। एक वर्ष बाद अनावेदक उसके पिता सूबेलाल, सरपंच रामसिंह तैकाम के साथ उसे लेने आया। ग्राम रेंहगी में मीटिंग बुलायी गई, जिसमें अनावेदक द्वारा इकरारनामा लिख कर उसे रखने की बात कही गई। मीटिंग के दो माह तक अनावेदक ने उसे ठीक से रखा और फिर दुवारा से मारपीट कर परेशान करने लगा, जिसके संबंध में उसने आरक्षी केन्द्र बैहर में रिपोर्ट लेखबद्ध करावायी। अनावेदक ने केवलारी की अन्नु नाम की लड़की से दूसरा विवाह कर लिया। अनावेदक की छः एकड़ जमीन है, जिससे अनावेदक को वार्षिक 6,00,000/- रुपये की आय हो जाती है, इसके अलावा अनावेदक कुआ, बिल्डिंग इत्यादि का ठेका भी लेता है, जिससे अनावेदक महीने में 15,000/- रुपये कमा लेता है। उसे दवाई, कपड़ा, खाना इत्यादि में 6000/- रुपये का खर्च आता है। अनावेदक आवेदिका का भरण-पोषण करने में सक्षम है।

(08) आवेदिका के अभिवचनों का अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण खण्डन नहीं होने से मूल स्वरूप आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। अनावेदक द्वारा आवेदिका को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिया जब से आवेदिका उसके मायके में रह रही है। यह साक्ष्य विवेचना से परिलक्षित होता है। अनावेदक आवेदिका का भरण-पोषण करने में सक्षम व्यक्ति होते हुये भी अनावेदक आवेदिका का भरण-पोषण करने में उपेक्षा बरत रहा है। यह भी साक्ष्य विवेचना से परिलक्षित होता है। अतः आवेदिका अनावेदक से भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 4 :-

(09) विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निष्कर्ष के आधार पर

आवेदिका यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। आवेदिका का विवाह अनावेदक से जाति रीति रिवाज के अनुसार आवेदन प्रस्तुति दिनांक 28.03.2012 से चार वर्ष पूर्व ग्राम रेहंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट में सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरान्त आवेदिका अनावेदक के साथ ग्राम मोवाला में एक वर्ष तक रही और दाम्पत्य जीवन का निर्वहन किया। उसके बाद अनावेदक एवं अनावेदक के परिवार के लोग दहेज में टी.व्ही., कूलर, आलमारी, सोफासेट एवं मोटरसाइकिल तथा 50,000/- रुपये की मांग कर ताने देने लगे और कहने लगे की दूसरी जगह शादी करते तो अच्छा दहेज मिलता और उसे परेशान करने लगे। आवेदिका ने समझाने का काफी प्रयास किया कि उसके माँ-बाप गरीब हैं। इतना दहेज नहीं दे सकते। अनावेदक आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। अनावेदक की माँ भी आवेदिका को गन्दी-गन्दी गालिया देने लगी और खाने पीने में तंगी देने लगी। अनावेदक उसके माता-पिता के उकसाने में आकर दहेज की मांग को लेकर अत्याधिक मारपीट कर घर से निकाल दिया।

(10) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 स्वीकार कर अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 1000/- (एक हजार रुपये) आदेश दिनांक से अदा करें।

(11) आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट